जालंधर में राज्य व्यापार निगम के केन्द्र का बन्द किया जाना

1217. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम के जालंधर स्थित केन्द्र को बन्द करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि खेल-कूद का सामान बनाने में लगे कुटीर उद्योग को सहायता देने के लिए इस केन्द्र की स्थापना पिछले वर्ष की गई थी; और यदि हां, तो पिछले कुछ वर्षों के दौरान केन्द्र द्वारा उद्योग को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस केन्द्र को खेल-कूद का सामान बनाने वाले उद्योग को आयातित तथा देश में ही उत्पादित कच्चा माल सप्लाई करने का दायित्व दिया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो क्या केन्द्र स्थानीय उद्योग की कच्चे माल की मांग को पूरा करने में समर्थ रहा; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के (स्वतंत्र प्रभार) के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) तथा (ख) जालंधर स्थित एस टी सी ब्रांच को बंद किए जाने का प्रस्ताव नहीं है। एस टी सी ब्रांच में खेल के सामान के लिए एक डिजाइन सह विकास केन्द्र शामिल है जिसका उद्देश्य खेल सामान के निर्यातकों के लिए कतिपय कच्ची सामग्री सप्लाई करना तथा परीक्षण एवं मशीनी सुविधाएं प्रदान करना है। परीक्षण तथा मशीनी सुविधाओं के उपयोग के संबंध में अपर्याप्त प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव है कि केवल कतिपय कच्ची सामग्री की सप्लाई ही जारी रखी जानी चाहिए।

(ग) यह केन्द्र वर्ष 1984 में स्थापित किया गया था। एस टी सी खेल सामान उद्योग के लिए एक कच्ची सामग्री बैंक संचालित करता था और 1985-86 से 1990-91 की अवधि के दौरान लगभग 2.8 मिलियन मीटर बेत प्राप्त की गई और उसे खेल सामान निर्यात संवर्धन परिषद की सिफारिश पर हाकी स्टिक, क्रिकेट बैट एवं बैंत के उपयोग वाले अन्य उपस्करों के 60 विनिर्माताओं/निर्यातकों के बीच वितरित किया गया। वर्ष 1987-88 से 1990-91 की अवधि के दौरान लगभग 89,000 वर्ग मीटर पी यू सामग्री भी आयात की गई थी और उसे इंफलेटेबिल के विनिर्माण के लिए 21 पार्टियों को वितरित किया गया। एस टी सी ने इंफलेटेबिल के लिए कतिपय परीक्षण उपस्करों की भी स्थापना की है।

(घ) तथा (ङ) बैंत तथा आयातित पोल्यूस्थांन (पी यू) जैसी कच्ची सामग्री प्राप्त की गई थी और उसे उन विनिर्माताओं/निर्यातकों को सप्लाई किया गया जिन्होंने ऐसी मदों के लिए मांग की थी। बैंत तथा आयातित पी यू सामग्री की अधिप्राप्ति एस टी सी के माध्यम से सरणीकृत नहीं है और विनिर्माता/निर्यातक इन मदों को सीधे ही प्राप्त कर सकते हैं। जालंधर स्थित केन्द्र काफी हद तक खेल सामान विनिर्माताओं की कच्ची सामग्री की मांगों को पूरा करने में समर्थ रहा है।

Pay scales of Dressers working in CGHS

1218. SHRI MOHD. KHALEELUR-RAHMAN: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) what are the reasons for the pay scale of Dressers working in CGHS not being at par with the pay scale of Homoeopathi Pharmacists and E.C.G./Dental technicians;

(b) whether any representation has been received by Government from the Dressers in this regard;

(c) if so, what are the details thereof and what action has been taken thereon; and

(d) by when their pay scales are likely to be revised?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SMT. D. K. THARA DEVI SIDDHARTHA): (a) Pharmacists, E.C.G. technicians/Dental Technicians are Group 'C' posts performing duties of higher nature than Dressers belonging to Group 'D' category. The educational qualifications are also higher for the former posts. Therefore, Dressers are not eligible for pay at par with pay scale of Homoeopathic Pharmacists and E.C.G./Dental technicians.

(b) No.

(c) and (d) In view of above, question does not arise.

Payment of bonus to Central Government employees

1219. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the proposal to pay bonus to the Central Government employees for the year 1990-91 is under consideration of Government;

(b) if so, by when a decision thereon is likely to be taken;

(c) whether the ceiling limit for the payment of bonus is likely to be increased; and

(d) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SHANTARAM POTDUKHE):

(a) Yes, Sir.

(b) A decision is likely to be taken shortly.

(c) and (d) The Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi, in a batch of applications field before it, has held that the applicants (who represent a section of the Central Government employees) shall be entitled to the payment of Productivity Linked Bonus/Ex-gratia as long as their emoluments do not exceed Rs. 3500/- per month, as against the existing eligibitly ceiling of Rs. 2500/- per month. The order of the Tribunal is receiving attention of Government.

Floting of shares of Nationalised banks for private ownerships

1220. SHRI ASHIS SEN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are contemplating any scheme to float additional share of nationalised commercial banks and market them for private ownership;

(b) if so, what are the names of the banks under this scheme;

(c) whether this will be in conflict with the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and relevant rules thereunder; and

(d) if so, what are the facts, circumstances and the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) There is no such proposal under consideration of Government at present.

(b) and (d) Do not arise.

Highest income tax outstanding against a firm and individual

1221. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what are the names of the firms and the individuals against whom highest income tax amount is outstanding; and

(b) the time since when these are outstanding and what steps have been taken by Government to recover the amount?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) The names of the firm and the individual against whom highest income-tax amount was outstanding as